न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–25/2018–19

श्री ओम मेटल्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर रमेश अग्रवाल..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
18.07.18	अपीलार्थी श्री ओम मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर रमेश अग्रवाल, पिता–बनारसी लाल अग्रवाल, निवास स्थान–बंगाली पाड़ा, जुगसलाई, डाकघर+थाना–जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–182 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक–27/12/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा मौजा–बुण्डू, थाना–बुण्डू, थाना सं०–0028, खाता सं०–1142, खेसरा सं०–5511, रकवा–38.5 डी० जमीन का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलार्थी ने विक्रेता (1)नागर कुम्हार पिता स्व० मंगला कुम्हार वो (2)श्रीमती सावित्री देवी पति श्री नारायण कुम्हार दोनों जाति कुम्हार, सा०–कुम्हार टोली, बुण्डू, डाकघर+थाना–बुण्डू द्वारा उनके पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर रंजीत कुमार मोदक पिता स्व० अनादी मोदक दिनांक–27/06/2017 को निबंधन विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। उपरोक्त वर्णित भूमि रिविजनल सर्वे में घासी कुम्हार पिता शंकर कुम्हार एवं उक्त भूमि के विक्रेता नागर कुम्हार एवं अन्य जो कि दर्ज रैयत के उत्तराधिकारी हैं एवं पंजी ।। धारक मंगल कुम्हार एवं अन्य के उत्तराधिकारी हैं के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि को क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलार्थी दखलकार है एवं उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया गया जहाँ सुनवाई की तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित रहा जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद सं०– 182 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–27/12/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा भूमि से संबंधित मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है कि एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एव संशोधित। (हस्ताक्षर) 18/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। (हस्ताक्षर) 18/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	